आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
	सारण समाहरणालय, छपरा। **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 57/2012** **जितेन्द्र प्रसाद राय बनाम राज्य एवं अन्य** **आदेश**	
10/7/2014	संदर्भित अपील आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC सं0 25775/2013 जितेन्द्र प्रसाद राय बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक 25.2.2014 को पारित आदेश के अनुपालन से संबंधित है। उक्त रिट याचिका अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 1907 दिनांक 14.6.12 के विरूद्व वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गई। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 26.5.2012 को पूर्वाह्न 10.15 बजे श्री जितेन्द्र प्रसाद राय, जन वितरण प्रणाली विकेता, अनुज्ञप्ति सं0 16/07 पंचायत–मदारपुर, प्रखंड–अमनौर की जॉच अनुमंडल स्तरीय गठित जॉच दल (प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, तरैया एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मढ़ौरा) द्वारा किया गया था। जॉच के कम में दुकान बंद पाई गयी थी तथा विकेता दुकान से अनुपस्थित पाया गया था। जॉच के समय विकेता के पिता द्वारा 5 बोड़ा एवं 20 किलोग्राम गेहूँ तथा 07 बोड़ा एवं 20 किलोग्राम चावल तथा 40 लीटर किरासन की मात्रा दिखाया गया था, परन्तु जॉच हेतु कोई पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया था। दुकान से संबद्व उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया गया था कि 2.5 लीटर किरासन तेल 42.00 (बयालीस रूपया) में वितरण किया जाता है एव बी.पी.एल. योजना में 8 किलोग्राम गेहूँ एवं 12 किलोग्राम चावल का दर 140.00 रूपया लेकर खाद्यान्न देने की बात कही गयी है। उपभोक्ताओं के द्वारा यह भी बयान दिया गया था कि कैशमेमो नहीं दिया जाता है। उक्त अनियमितताओं के आलोक में विकेता से कारणपृच्छा की गयी। विकेता के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा में दिए गए तर्क से उनके उपर लगाए गए आरापों का खंडन नहीं	

होना उल्लेखित है। विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन एवं जन वितरण प्रणाली की सामग्री के उठाव एवं वितरण में अनियमितता बरतने के आलोक में विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दी गयी।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता ने बतलाया कि अपीलार्थी जॉच की तिथि को अन्य दिनों की तरह दुकान प्रातः 7.00 बजे खोलकर सूचनापट्ट अद्यतन कर किरासन तेल उठाने गरखा चला गया था। दुकान की देखभाल की जिम्मेवारी अपीलार्थी अपने पिता पर छोड गया था। अपीलार्थी के दुकान भंडार में 25 बी.पी.एल. उपभोक्ताओं का पॉच बोड़ा गेहूँ था, जिसमें से एक बोड़ा फट गया था और कुछ गेहूँ नीचे गिरा था, जिसे अतिरिक्त गेहूँ समझकर जॉच दल द्वारा पॉच बोड़ा 20 किलोग्राम दर्ज कर लिया गया था, जबकि गेहूँ पॉच बोड़ा ही था। 25 बी.पी.एल. कार्डधारी उपभोक्ताओं का चावल 07 बोडा 25 किलोग्राम था, जिसे जॉच दल के द्वारा 07 बोडा 20 किलोग्राम अनुमान किया गया। अपीलार्थी के पिता अज्ञानतावश भंडारपंजी तथा वितरण पंजी नहीं दिखा सके थे। यह भी बतलाया गया कि अपीलार्थी दुकान से संबद्व सभी उपभोक्ताओं को निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में राशन व किरासन तेल का वितरण प्रत्येक माह करता था तथा प्रत्येक कूपनधारी उपभोक्ताओं को 2.75 लीटर किरासन तेल 42.00 रूपया लेकर वितरण करता था। दस किलोग्राम गेहूँ तथा पन्द्रह किलोग्राम चावल 153.20 की जगह 154 रूपया लेकर वितरण करता था। यह भी बतलाया गया कि अपीलार्थी उपभोक्ताओं को नियमित रूप से प्रत्येक माह कैशमेमो दिया करता था। अपीलकर्त्ता के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है, इसलिए अनुज्ञप्ति बहाल करने हेतु अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी के द्वारा अपने स्पष्टीकरण के साथ एक कैशमेमो की प्रति संलग्न किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 26.5.12 को वह थोक किरासन तेल विक्रेता मे0 मॉ डिस्ट्रीब्यूटर्स गरखा के यहॉ किरासन तेल के उठाव हेतु गया हुआ था। पिता के द्वारा सभी पंजी को नहीं दिखा पाना उनकी अज्ञानता के कारण संभव हो सकता है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने स्पष्टीकरण में तथा अपने आदेश में कहीं भी शिकायत करने वाले सम्बद्व उपभोक्ताओं का

नाम एवं अन्य विवरणी का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे उनका आदेश बहाल रखने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 842 दिनांक 26/7/2014

प्रतिलिपि– अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा को LCR मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– NIC पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।